नकली कफ सिरप मामला; आजमगढ़ में हिस्ट्रीशीटर और साथी पर केस; रायबरेली में दो मेडिकल फर्म्स पर FIR

आजमगढ़/रायबरेली: नकली कफ सिरप की तस्करी मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. अपराधियों के नए नाम भी जुड़ते जा रहे हैं. आजमगढ़ में हिस्ट्रीशीटर बिपेंद्र सिंह और उसके साथी विकास सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वहीं, रायबरेली में भी ड्रग इंस्पेक्टर ने दो फर्जी मेडिकल फर्म्स के खिलाफ केस दर्ज कराया है. दोनों फर्म्स ने लखनऊ के डीलर से लाखों बॉटल कफ सिरप खरीदे थे.

आजमगढ़ में केस दर्ज: दीदारगंज थाना क्षेत्र के नरवे गांव निवासी विकास सिंह का नाम नकली कफ सिरप मामले में सामने आया है. वह जेठारी गांव निवासी बिपेंद्र सिंह का साथी है. बिपेंद्र दीदारगंज थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. उस पर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं. ड्रग इंस्पेक्टर ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया है. ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठारी नरवे निवासी बीपेंद्र सिंह की मार्टिनगंज के बनगांव में एएस फार्मा के नाम से मेडिकल स्टोर है. उसने आजमगढ़ के दो, बस्ती के तीन और जौनपुर के एक फर्म से नकली कफ सिरप की कुल 3 लाख 28 हजार बॉटल खरीदी थी.

ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा ने बताया कि 28 नवंबर को निरीक्षण के दौरान उसकी दुकान बंद मिली. पूछताछ के दौरान मकान मालिक ने बताया कि एक साल पहले ही वह दुकान छोड़ चुका है. वह घर पर भी नहीं मिला. कई बार फोन किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ. व्हाट्सएप नंबर और ईमेल के जरिए भी खरीद बिक्री का विवरण मांगा गया, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया. जीएसटी अकाउंट नहीं उपलब्ध कराया गया. ऐसे में कफ सिरप के दुरुपयोग की आशंका है.

Source: https://www.etvbharat.com/hi/state/cases-registered-azamgarh-and-raebareli-fake-cough-syrup-case-bipendra-singh-vikas-singh-uttar-pradesh-news-ups25120500523